राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. विविध आपराधिक स्थानांतरण याचिका सं. 2/2022

नंदा पत्नी भीखनाथ, उम्र लगभग 32 वर्ष, जाति- नाथ, निवासी अस्पताल रोड, मारवाड़ जंक्शन, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली, वर्तमान निवासी- हाथी राम का ओडा, मच्छी बाजार, नई सड़क, जोधपुर, जिला जोधपुर मेट्रो-----याचिकाकर्ता।

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से।

2. भीखनाथ पुत्र चंपा नाथ, जाति- नाथ, निवासी- मारवाड़ जंक्शन, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली----प्रतिवादी।

याचिकाकर्ता (ओं) के लिएः- श्री राजपाल सिंह
प्रत्यर्थी (ओं) के लिएः- श्री जावेद गौरी पीपी, श्री परवत सिंह राठौर

माननीय न्यायाधीश श्री मनोज कुमार गर्ग

आदेश

रिपोर्ट योग्य

09/01/2024

याचिकाकर्ता- पत्नी द्वारा वर्तमान स्थानांतरण याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि आई. पी. सी. की धारा 494 सहपठित धारा 109 के तहत अपराध के लिए शिकायत प्रकरण, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली के समक्ष लंबित है, जिसे

विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर मेट्रो को स्थानांतरित किया जा सकता है। याचिकाकर्ता-पत्नी के वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी पति ने याचिकाकर्ता-पत्नी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 494 सहपठित धारा 109 के तहत अपराध के लिए शिकायत दर्ज कराई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता जोधपुर में रह रहा है और याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच जोधपुर की अदालतों में कुछ वैवाहिक कार्यवाही भी लंबित हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक महिला होने के नाते, याचिकाकर्ता के लिए मारवाड़ जंक्शन की यात्रा करना बहुत मुश्किल है जो जोधपुर में उसके आवासीय स्थान से 90 किमी दूर है, इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली के समक्ष लंबित शिकायत मामले संख्या 12/2019 को भी जोधपुर के एक न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए।

इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 2, उनके पति के वकील ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया है। मैंने पक्षकारों के वकील को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया है। यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता जोधपुर में रह रहा है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 और घरेलू उल्लंघन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही जोधपुर में लंबित है। विनीशा जितेश तोलानी @मनमीत लघमनी बनाम जितेश किशोर तोलानी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2010 (1) डब्ल्यू. एल. सी. (एस. सी.) 705 में अवलोकन किया है कि पति द्वारा पत्नी के खिलाफ शुरू की गई वैवाहिक कार्यवाही में, मुकदमे को लड़ने में पत्नी की सुविधा

पर विचार किया जाना चाहिए और तदनुसार, वैवाहिक कार्यवाही को स्थानांतरित किया जाना चाहिए जहां पत्नी रह रही थी। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और स्थानांतरण याचिका में उल्लिखित कारणों को देखते हुए, इस याचिका की अनुमति दी जाती है। यह आदेश दिया जाता है कि आई. पी. सी. की धारा 494 सहपठित धारा 109 के तहत अपराध के लिए "भीखनाथ बनाम नंदा और अन्य" शीर्षक वाला शिकायत प्रकरण, जो विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली के समक्ष लंबित है, को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर मेट्रो के न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली को मामले का रिकॉर्ड तुरंत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर मेट्रो की अदालत में भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(मनोज कुमार गर्ग), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।